"प्रारूप – ग"

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारो और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप

खनन/चुगान हेतु आवेदन

भाग – 1

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. **परियोजना के ब्यौरे–**
   (i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और सम्पर्क ब्यौरे।
   (ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति।
   (iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता।
   (iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नही)।
   (v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु।
   (vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा।
   (vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये संबद्ध थथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे।
   (viii) पूर्वेक्षण पट्टे में सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे।
   (ix) पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र–
   (क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र।
   (ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र।
   (x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है।
   (xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत।
   (xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है, उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा।
   (xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वेक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे।

2. **संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा–**
   (i) पूर्वेक्षण ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियां छेदन उपस्करों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सड़को या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वेक्षण आदि में पहचान की गई भूमि की सीमा से (10 किमी0) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र।

टिप्पणी– 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नही हो तो विशेषतः अंतराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थिति क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियां सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पणी– 2 तकनीकी कारणों से पूर्वेक्षण क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध–छिद्र नमूने प्लाट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते है, परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नही होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वेक्षण के लिए न्यायोचितता।
   (ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे।
   (iii) गैर आक्रामक पूर्वेक्षण क्रिया–कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण क्रिया–कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो।

5. **वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया–कलापों के ब्यौरे–**

(i) सतह नमूने–

(क) ग्राह प्रतिचयन।
(ख) चिप प्रतिचयन।
(ग) खांचा प्रतिचयन।
(घ) चैनल प्रतिचयन।
(ड) प्रपुंज प्रतिचयन।
(च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन।

(ii) गड्डा या खाई बनाना–

(क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास।
(ख) उत्खनन की कुल मात्रा।
(ग) गड्डों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र।

(iii) वेधन–

(क) वेध छिद्रो या कुओं की संख्या और व्यास।
(ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन।
(ग) प्रत्येक विधछिद्र या कुओं पर अस्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र।
(घ) प्रत्येक विधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है।
(ड) वेध छिद्रों या कुओं का मापन।
(च) वेधन कोर नमूनों की संख्या।
(छ) वेधन कोर नमूनों की संख्या।

(iv) सड़को या पथो का संनिर्माण–

(क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई।
(ख) सड़को या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र।

(v) कोई अन्य कियाकलाप (कृपया विर्दिष्ट करे)।

6. **निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र–**

(i) सतह प्रतिचयन।
(ii) गड्डा या खाई बनाना।
(iii) वेधन।
(iv) सड़को या पथों का संनिर्माण।
(v) कोई अन्य कियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।
कुल –

7. **निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र–**

(i) सतह प्रतिचयन।
(ii) गड्डा या खाई बनाना।
(iii) वेधन।
(iv) सड़को या पथों का संनिर्माण।
(v) कोई अन्य कियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।
कुल –

8. **पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपस्करों के ब्यौरे–**

क0सं0	उपस्कर या मशीनरी का नाम	कर्षक का ढंग	आकार (एल x बी x एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।

10. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रूकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।

11. पूर्वेक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नही)

क0सं0	नमूनों के ब्यौरे	संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (मीट्रिक टन)

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर।

13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रो की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है, तो प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर।

		शुद्धता	स्तर
(i)	(10%)		
(ii)	(20%)		
(iii)	(30%)		
(iv)	(40%)		
(v)	(50%)		

14. **यदि पूर्वेक्षण या अतिरिक्त वेध अतिरिक्त वेध छिद्रो के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दे–**

(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे।

क0सं0	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वेक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि	
			से	तक

(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

(iii) उल्लघंन (नो), यदि कोई किया है, के ब्यौरे।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।

(v) अभी तक किए गए पूर्वेक्षण कियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे।

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे–

तारीख –
स्थान –

हस्ताक्षर –
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम –
पता (प्रयोक्ता अभिकरण का) –

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं0 –
(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)